# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह (आर0ए0एस0)
वाद सं0 276 सन 2018
अनवान :–

1. रामेश्वर 2 अर्जुनराम 3 गणेशाराम पि0 बेगाराम जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 01/07/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 7 जीजीएम में खाता संख्या 103/103 में प0न0 396/452(26) के किला न0 1 ता 25 की 6.0200हैक्ट, मु0न0 128/21 की 0.177हैक्ट गै.मु खाला मु0न0 132/11 की 0.126हैक्ट गै.मु रास्ता कुल 6.3250हैक्ट भूमि में से 260 हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 29.08.1978 को 6.10 बीघा भूमि गोपीराम अर्जुनराम पि0 बेगाराम ने तथा इसी दिन 6.10 बीघा भूमि रामेश्वरलाल व गणेशाराम वल्द बेगाराम ने खरीद की थी उक्त भूमि खदी करने के बाद नामान्तकरण संख्या 81/80 के तहत वादीगण के नाम से दर्ज हो गयी लेकिन बाद में सहवन से जमाबन्दी में वादी रामेश्वर वल्द गणेशाराम तथा अर्जुनराम की जगह लालचन्द वल्द बेगाराम दर्ज हो गया तथा गणेशाराम का हिस्सा गायब हो गया जबकि रामेश्वर के पिता का नाम बेगाराम है लालचन्द का सही नाम अर्जनराम है रामेश्वर व गणेशाराम दोनो भाई है इसलिये जमाबन्दी में सहवन से वल्दीयत गलत दर्ज हो गई है।

वादी रामेश्वर के पिता का नाम गणेशाराम की जगह बेगाराम तथा लालचन्द की जगह अर्जनराम दर्ज किया जावे वादीगण के इस जमाबन्दी के अलाव अन्य समस्त दस्तावेजों में नाम व बल्दीयत सही दर्ज है जबकि जमाबन्दी में गलत अंकन होने से वादीगण को भारी परेशानी होती है जिसे दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 103 में रामेश्वर के नाम के आगे वल्द शब्द हटाया जावे तथा लालचन्द की जगह अर्जनराम दर्ज किया जाने के आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी पेरोकार राज को तलब किया गया । पेराकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया गया की बैयनामा दिनांक 12.11.1978 के अनुसार गोपीराम अर्जनराम पि0 बेगाराम ने धीसाराम उर्फ धासीसिंह पुत्र खंगसिंह जाति राजपूत से रोही मौजा चक 7 जीजीएम प0न0 396/452 (26) किला न0 13/010 ,16/0.18 ,17 ,18/2.00 ,23 ,24/2.00, 25/0.18 कुल 6.06बीघा मुमकिन एवं 0.04 बीघा गेर मुमकिन कुल 6.10 बीघा भूमि जरिये बेयनामा खरीद की गई थी इसी प्रकार रामेश्वरलाल गणेशाराम पि0 बेगाराम ने ने धीसाराम उर्फ धासीसिंह पुत्र खंगसिंह जाति राजपूत से रोही मौजा चक 7 जीजीएम प0न0 396/452(26) किला न0 11 ,12/2.00 13/0.10 ,19 ता 22/4.00 बीघा कुल 6.10 बीघा भूमि जरिये बेयनामा खरीद की गई थी। वर्तमान जमाबन्दी में रामेश्वर वल्द गणेशाराम , गोपीराम लाचन्द पि0 बेगाराम दर्ज है। वादी बेयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहता है राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए राजस्व रिकार्ड में [illegible] किया जाता है तो राज्यपक्ष को ऐतराज नही है। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्ष को [illegible] गया।

वादीगण के अधिवक्ता [illegible] अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 जीजीएम में खाता संख्या 103/[illegible] में प0न0 396/452(26) के किला न0 1 ता 25 की 6.0200 [illegible], मु0न0 128/21 की [illegible] हैक्ट गै.मु खाला मु0न0 132/11 की 0.126हैक्ट गै.मु. रास्ता कुल 6.3250हैक्ट भूमि में से 260 हिस्सा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 29.08.1978 को 6.10 बीघा भूमि गोपीराम अर्जुनराम पि0 बेगाराम ने तथा इसी दिन 6.10 बीघा भूमि रामेश्वरलाल व गणेशाराम वल्द बेगाराम ने खरीद की थी उक्त भूमि खदी करने के बाद नामान्तकरण संख्या 81/80 के तहत वादीगण के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

दर्ज हो गयी लेकिन बाद मे सहवन से जमाबन्दी में वादी रामेश्वर वल्द गणेशाराम तथा अर्जुनराम की जगह लालचन्द वल्द बेगाराम दर्ज हो गया तथा गणेशाराम का हिस्सा गायब हो गया जबकि रामेश्वर के पिता का नाम बेगाराम है लालचन्द का सही नाम अर्जनराम है रामेश्वर व गणेशाराम दोनो भाई है इसलिये जमाबन्दी मे सहवन से वल्दीयत गलत दर्ज हो गई है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 103 में रामेश्वर के नाम के आगे वल्द शब्द हटाया जावे तथा लालचन्द की जगह अर्जनराम दर्ज किया जाने के आदेश फरमावे।

पेशकार राज ने अपनी बहस मे अपने जबाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की बैयनामा दिनांक 12.11.1978 के अनुसार गोपीराम अर्जनराम पि0 बेगाराम ने धीसाराम उर्फ घासीसिंह पुत्र खंगसिंह जाति राजपूत से रोही मौजा चक 7 जीजीएम प0न0 396/452 (26) किला न0 13/010 16/0.18 17 ,18/2.00 ,23 ,24/2.00, 25/0.18 कुल 6.06बीधा मुमकिन एवं 0.04 बीधा गैर मुमकिन कुल 6.10 बीधा भूमि जरिये बेयनामा खरीद की गई थी इसी प्रकार रामेश्वरलाल गणेशाराम पि0 बेगाराम ने ने धीसाराम उर्फ घासीसिंह पुत्र खंगसिंह जाति राजपूत से रोही मौजा चक 7 जीजीएम प0न0 396/452(26) किला न0 11 ,12/2.00 13/0.10 ,19 ता 22/4.00 बीधा कुल 6.10 बीधा भूमि जरिये बेयनामा खरीद की गई थी। वर्तमान जमाबन्दी मे रामेश्वर वल्द गणेशाराम , गोपीराम लाचन्द पि0 वेगाराम दर्ज है। वादी बेयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्यपक्ष को ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात/बैयनामा के अनुसार बैयनामा दिनांक 12.11.1978 के अनुसार गोपीराम अर्जनराम पि0 बेगाराम ने धीसाराम उर्फ घासीसिंह पुत्र खंगसिंह जाति राजपूत से रोही मौजा चक 7 जीजीएम प0न0 396/452 (26) किला न0 13/010 ,16/0.18 ,17 ,18/2.00 ,23 ,24/2.00, 25/0.18 कुल 6.06बीधा मुमकिन एवं 0.04 बीधा गैर मुमकिन कुल 6.10 बीधा भूमि जरिये बेयनामा खरीद की गई थी इसी प्रकार रामेश्वरलाल गणेशाराम पि0 बेगाराम ने ने धीसाराम उर्फ घासीसिंह पुत्र खंगसिंह जाति राजपूत से रोही मौजा चक 7 जीजीएम प0न0 396/452(26) किला न0 11 ,12/2.00 13/0.10 ,19 ता 22/4.00 बीधा कुल 6.10 बीधा भूमि जरिये बेयनामा खरीद की गई थी। नामान्तकरण संख्या 81 रोही मोजा चक 7 जीजीएम के अनुसार बेयनामा के अनुसार दर्ज किया जाकर नामान्तकरण में रामेश्वरलाल गणेशाराम व गोपीराम अर्जुनराम पि0 बेगाराम दर्ज किया गया किन्तु आगामी जमाबन्दी तैयार करते समय जमाबन्दी मे रामेश्वर वल्द गणेशाराम , गोपीराम लाचन्द पि0 वेगाराम दर्ज किया गया है जो सहवन से दर्ज किया गया है रामेश्वरलाल व गणेशाराम दोनो भाई है जबकि जमाबन्दी में रामेश्वरलाल का पिता अंकित किया गया है। जमाबन्दी मे नाम का गलत अंकन सहवन से हुआ है वादीगण बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है जिसके सम्बध मे पेशकार राज ने भी निवदन किया गया है कि राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जमाबन्दी संशोधन किये जाने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की जानी नही है बल्दी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ही आदिनांक संशोधित होती है

अतः वादीगण का साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 103/103 के अंकित रामेश्वर वल्द गणेशाराम ,गोपीराम लालचन्द पि0 बेगाराम के स्थान पर रामेश्वर , गणेशाराम , गोपीराम अर्जुनराम पि0 बेगाराम संशोधित [illegible] है शेष खाता का अंकन यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकित [illegible] उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री [illegible] की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:19:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

**अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित ( आर.ए.एस)**

अनवान :–

1. रामेश्वर 2 अर्जुनराम 3 गणेशाराम पि0 बेगाराम जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादीगण**

**बनाम**

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 276 सन 2018 निर्णय दिनांक–01/07/2019**

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्यों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 103/103 के अंकित रामेश्वर वल्द गणेशाराम ,गोपीराम लालचन्द पि0 बेगाराम के स्थान पर रामेश्वर , गणेशाराम , गोपीराम अर्जुनराम पि0 बेगाराम सशोधित किया जाता है शेष खाता का अंकन यथवत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/07/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) — stamp)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:19:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner